



जमुई में उत्पाद विभाग ने रोका ट्रक

फिर खाली बोरा के बंडल को हटाया तो उड़े होश; मच गया हड़कंप



जमुई. जमुई में वाहन जांच के दौरान उत्पाद विभाग की टीम को अवैध गांजा की बड़ी खेप पकड़ने में बड़ी कामयाबी मिली है। बुधवार की देर शाम करीब 8०0 बजे डुमरी चेकपोस्ट से वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से 20 बोरा में करीब चार क्विंटल गांजा जब्त किया गया है। इतनी भारी मात्रा में गांजा देख पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। साथ ही चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार चालक की पहचान नवी मुंबई के फाजिर रोड इंद्रा नगर निवासी नारायण के पुत्र अमोल गायकवाड़ के रूप में हुई है।

यह कार्रवाई उत्पाद विभाग के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही

है। तस्करों के बीच दहशत फैली हुई है। उत्पाद अधीक्षक सुभाष कुमार ने बताया कि अलग-अलग टीम गठित कर शराब के विरुद्ध झारखंड से सटे सीमा क्षेत्र स्थित विभिन्न चेकपोस्टों पर छापेमारी की जा रही है। इसी कड़ी में उत्पाद थाना प्रभारी अश्विनी कुमार के नेतृत्व में एसआई धर्मवीर कुमार और एएसआई लव कुमार द्वारा डुमरी चेकपोस्ट पर खाली बोरा का बंडल लदे एक ट्रक की तालाशी ली गई।

जब खाली बोरा के बंडल को हटाया गया तो नीचे में रखा 20 बोरा में गांजा बरामद किया गया और ट्रक को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया गया है।

बरामद गांजा का वजन करीब 4 क्विंटल
बरामद गांजा का वजन करीब चार क्विंटल है और बाजार मूल्य करीब चालीस लाख रुपया बताया जाता है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार चालक से पूछताछ के दौरान पता चला है कि हजारों बाग से गांजा की खेप पटना ले जाया जा रहा था, जहां किसी दूसरे चालक को ट्रक सौंपना था। तस्कर और ट्रक मालिक का भी पता लगाया जा रहा है। कागजी प्रक्रिया पूरी कर चालक को जेल भेजा जाएगा। इसके अलावा सीमा क्षेत्रों पर लगातार वाहन जांच की जा रही है।
गांजा क्या है?
गांजा एक प्रकार का नशीला पदार्थ है, जो भांग के पौधे से प्राप्त किया

जाता है। यह एक प्रकार का साइकोएक्टिव पदार्थ है, जो मस्तिष्क और शरीर पर प्रभाव डालता है। गांजा में मुख्य रूप से टेटराहाइड्रोकैनाबिनोल (टीएचसी) नामक एक रसायन होता है, जो इसके नशीले प्रभाव के लिए जिम्मेदार होता है। जब गांजा का सेवन किया जाता है, तो टीएचसी रक्तप्रवाह में प्रवेश करता है और मस्तिष्क तक पहुंचता है, जहां यह विभिन्न प्रभावों का कारण बनता है।

गांजा के सेवन से नुकसान
नशीली दवाओं की लत मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं श्वसन समस्याएं हृदय समस्याएं याददाश्त और एकाग्रता में कमी

बिहार में तीन डीआईजी का तबादला

दो आईपीएस की बदली जिम्मेदारी; अधिसूचना जारी

पटना. गृह विभाग ने पांच आईपीएस अफसरों की जिम्मेदारी बदली है। इनमें तीन डीआईजी का तबादला किया गया है। यातायात के अपर पुलिस महानिदेशक सुधांशु कुमार को असेनिक सुरक्षा के अपर आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। डीआईजी अनसूइया रणसिंह साहू को आइजी में प्रोन्नति के बाद नागरिक सुरक्षा के आइजी की जिम्मेदारी दी गई है। गृह विभाग ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

इसके अलावा पटना के विधि-व्यवस्था एसपी विवेक कुमार को प्रोन्नति के बाद सीआईडी का डीआईजी बनाया गया है। एसडीआरएफ के समादेश मो. फरोगुद्दीन को प्रोन्नति के बाद गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएं की डीआईजी की जिम्मेदारी मिली है।

इसके अलावा गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निमशन सेवाएं के डीआईजी मृत्युंजय कुमार चौधरी को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का नया डीआईजी बनाया गया है। इसके अलावा बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारी राजेश कुमार को सीआईडी के अपर पुलिस अधीक्षक की जगह एसडीआरएफ का समादेश बनाया गया है।
IPS अधिकारियों का ट्रांसफर कैसे होता है?

केंद्र सरकार की अनुमति आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर केंद्र सरकार की अनुमति से होता है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर की अनुमति दी जाती है।

राज्य सरकार की सिफारिश आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर के लिए राज्य सरकार द्वारा सिफारिश की जाती है। राज्य सरकार अपने यहाँ के आईपीएस अधिकारियों की सूची तैयार करती है और उन्हें ट्रांसफर करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करती है।

कार्यक्षमता और अनुभव आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर में उनकी कार्यक्षमता



और अनुभव का भी ध्यान रखा जाता है। अधिकारी की कार्यक्षमता और अनुभव के आधार पर उन्हें उचित पद और जिम्मेदारी दी जाती है।

प्रशासनिक आवश्यकताएं आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर में प्रशासनिक आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाता है। राज्य या केंद्र सरकार की आवश्यकताओं के आधार पर अधिकारी को ट्रांसफर किया जा सकता है।

न्यायिक आदेश कभी-कभी न्यायिक आदेश के आधार पर भी आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया जा सकता है। यदि कोई अदालत आईपीएस अधिकारी के ट्रांसफर का आदेश देती है, तो उसे मानना होता है।

आईपीएस अधिकारी का काम क्या होता है?

कानून और व्यवस्था बनाए रखना आईपीएस अधिकारी का मुख्य काम कानून और व्यवस्था बनाए रखना होता है। वे अपने क्षेत्र में अपराध को रोकने और नियंत्रित करने के लिए काम

करते हैं। अपराध जांच आईपीएस अधिकारी अपराध जांच के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे अपराध की जांच करते हैं, साक्ष्य इकट्ठा करते हैं और अपराधियों को पकड़ने के लिए काम करते हैं।

पुलिस बल का प्रबंधन आईपीएस अधिकारी पुलिस बल का प्रबंधन करते हैं। वे पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश देते हैं, उनकी गतिविधियों की निगरानी करते हैं और उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

सामुदायिक पुलिसिंग आईपीएस अधिकारी सामुदायिक पुलिसिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और उन्हें हल करने के लिए काम करते हैं।

विशेष कार्य आईपीएस अधिकारी विशेष कार्यों के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। वे आतंकवाद, साइबर अपराध, और अन्य विशेष अपराधों की जांच के लिए काम करते हैं।

विपक्ष ने नीतीश कुमार सरकार को स्मार्ट मीटर पर घेरा

भाजपाई मंत्री का जवाब जान लीजिए

बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर बिहार की नीतीश कुमार सरकार अपना पीट थपथपा रही है और सामने जनता इससे परेशान है। बगैर इस्तेमाल किए भी बिजली का पैसा भुगत रही जनता के मुद्दे को विपक्ष ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर ली है। शीतकालीन सत्र में भी रोज इसपर हंगामा हो रहा है। गुरुवार को भी बिहार विधानमंडल परिसर में इसपर हंगामा होता रहा। अजूबा यह रहा कि इस गंभीर मसले को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने हवा में उड़ा दिया। क्या कहा, वह जानने लायक है और समझने लायक भी कि सरकार इसपर आगे क्या रुख अपनाएगी। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल



ने कहा कि नीतीश सरकार ने सक्विडी पर गरीबों को बिजली देना शुरू किया। गरीबों ने आवाज उठाना बंद कर दिया तो विपक्ष का हवा निकल गई। पहले यह लोग सर्वे, स्मार्ट मीटर और बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे थे लेकिन नीतीश कुमार ने इनकी हवा लगा दी। अब

विपक्ष के लोग एक दो दिन बाद खंबा ही नोचेंगे। विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। विपक्ष के विधायकों में होश में नहीं है। राबड़ी देवी के मिथिला राज्य की मांग के सवाल पर कहा कि केवल मिथिला ही क्यों बिहार के हर गांव राज्य बना देना चाहिए।

मोतिहारी में तेल टैंकर और ऑटो रिकशा की जोरदार टक्कर

प्रधानाध्यापक की मौत, 3 शिक्षक घायल

मोतिहारी. बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बुधवार की सुबह सड़क दुर्घटना में स्कूल के प्रधानाध्यापक की मौत हो गयी तथा तीन शिक्षक घायल हो गये। पुलिस सूत्रों ने बताया कि भेलवा मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक नरेश कुमार (52) और अन्य तीन शिक्षक ऑटो रिकशा से मधुबन



प्रखंड के भेलवा जा रहे थे। इस दौरान मधुबनी घाट पुल के समीप तेल के टैंकर से ऑटो रिकशा की

टक्कर हो गई। इस घटना में ऑटो रिकशा पर सवार प्रधानाध्यापक नरेश कुमार की मौत हो गयी तथा तीन शिक्षक घायल हो गए। सूत्रों ने बताया कि घायल शिक्षकों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल मोतिहारी भेज दिया गया है।

नशे के विरुद्ध एक दिसंबर को पटना मैराथन, मिलेगा 50 लाख का नकद इनाम

पटना. नशामुक्ति के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए एक दिसंबर (रविवार) को राजधानी में पटना मैराथन का आयोजन किया जाएगा।

बुधवार को सूचना भवन के संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में विभागीय सचिव विनोद सिंह गुजियाल, उत्पाद आयुक्त रजनीश कुमार सिंह, ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान और प्रायोजक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने आयोजन की विस्तृत जानकारी दी। धावकों की हौसला अफजाई के लिए अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल भी मौजूद रहेंगी। सचिव ने बताया कि पटना मैराथन में चार प्रकार की दौड़ होगी जिसमें 42 किमी की फुल मैराथन, 21 किमी की हाफ मैराथन के साथ दस किमी और पांच किमी की दौड़ होगी। मैराथन चार श्रेणियों में होगी जिसमें सामान्य श्रेणी, अधिकारी श्रेणी, एसबीआई श्रेणी, इलिट श्रेणी (अंतरराष्ट्रीय धावक),



उम्र आधारित श्रेणी और बिहार फास्टेस्ट श्रेणी शामिल हैं। फुल मैराथन, हाफ मैराथन और दस किमी की दौड़ के विजेताओं के लिए अलग-अलग श्रेणियों में कुल 50 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा।

फुल मैराथन का नेशनल रिकार्ड बनाने पर

तीन लाख और हाफ मैराथन में नेशनल रिकार्ड पर दो लाख रुपये का इनाम मिलेगा। इस दफे पहली बार बिहार फास्टेस्ट श्रेणी भी जोड़ी गई है, जिसमें बिहार के सबसे तेज फुल मैराथन धावक को एक लाख, हाफ मैराथन धावक को 50 हजार जबकि

दस किमी के धावक को 30 हजार रुपये का प्रथम पुरस्कार मिलेगा। सभी श्रेणियों में प्रथम तीन स्थान पर आने वाले धावकों को 20 हजार से लेकर अधिकतम तीन लाख तक का इनाम दिया जाएगा। विभाग के द्वारा वर्ष 2022 से ही लगातार मैराथन का आयोजन किया जा रहा है।

अभी तक आठ हजार प्रतिभागियों ने कराया निबंधन

मैराथन के लिए विभिन्न श्रेणियों में करीब आठ हजार प्रतिभागियों ने निबंधन कराया है। इसमें 14 आइएस-आइपीएस समेत 314 अधिकारी, 918 एसबीआई कर्मी और 35 अंतरराष्ट्रीय धावक शामिल हैं। मैराथन में आमलोग भी भाग ले सकते हैं। इसके लिए इच्छुक धावकों को बिहार मैराथन डाट काम पर 29 नवंबर तक आनलाइन निबंधन कराना होगा। पांच किमी की दौड़ के लिए 30 नवंबर तक आफलाइन निबंधन होगा।

अटल पथ और जेपी पथ की एक लेन रहेगी बंद

ट्रैफिक एसपी ने बताया कि मैराथन का रूट गांधी मैदान से गोलघर, जेपी गंगा पथ होते हुए अटल पथ के शिवपुरी फुटओवर ब्रिज तक होगा। यहां की दूरी 10.5 किमी है। इसके बाद हाफ मैराथन और फुल मैराथन के लिए धावक यू-टर्न लेंगे। धावकों के पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा होगा। पटना मैराथन को लेकर 30 नवंबर की रात 11 बजे से एक दिसंबर की सुबह दस बजे तक अटल पथ और जेपी गंगा पथ का क्रमशः पूर्वी और दक्षिणी लेन बंद रहेगा। पांच किमी के लिए निबंधन शुल्क 400 रुपये, दस किमी के लिए निबंधन शुल्क 500 रुपये, 21 किमी के लिए 800 रुपये और 42 किमी के लिए निबंधन शुल्क 1300 रुपये निर्धारित है।

चार प्रकार की दौड़

दौड़ = प्रारंभिक समय
42 किमी (फुल मैराथन) = सुबह पांच बजे
21 किमी (हाफ मैराथन) = सुबह 5:30 बजे
10 किमी = सुबह 6:30 बजे
05 किमी = सुबह 7:30 बजे
छह श्रेणियों में होगा निबंधन सामान्य श्रेणी
अधिकारी श्रेणी
एसबीआई श्रेणी
इलिट श्रेणी (अंतरराष्ट्रीय धावक)
उम्र आधारित श्रेणी
बिहार फास्टेस्ट श्रेणी
मैराथन रूट
गांधी मैदान गेट संख्या एक से शुरू होकर गोलघर होते हुए जेपी गंगा पथ से अटल पथ में शिवपुरी फुटओवर ब्रिज तक और फिर वहां से यू-टर्न होकर वापस गांधी मैदान तक।